राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

विज्ञप्ति

मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट पिटिशन नं0 13029/1985 श्री एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 24.10.2017 को पारित आदेश द्वारा पैटकोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR Region) में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अतः राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों अर्थात अलवर व भरतपुर जिलों में पैटकोक एवं फर्नेस ऑयल का उपयोग करने वाले उद्योगों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 01.11.2017 से उपरोक्त ईधनों का उपयोग कदापि नहीं करें, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी।

(आर.के. ग्रोवर)
शासन सचिव
पर्यावरण विभाग,
राजस्थान सरकार